Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Supply Revision No.- 216/2022
Dinesh Kr. Rajak.....Petitioner.
Versus
The State of Bihar & Ors.....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.06.2023	**आदेश** प्रस्तुत आपूर्त्ति पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णिया के आपूर्त्ति अपील वाद सं0–21/2010 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2020 एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC सं0–5049/22 में पारित आदेश दिनांक 29.09.22 के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। आवेदक की उपस्थिति है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक जन वितरण प्रणाली अंतर्गत ग्राम पंचायत–चाँदी, अंचल–पूर्णिया पूर्व के अनुज्ञप्ति सं0–52/2007 के वैद्य धारक रहते हुए अपनी दुकान बड़ी ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक चला रहे थे। दिनांक 29.08.2009 को सक्षम प्राधिकार द्वारा इनके दुकान का निरीक्षण किया गया जिसमें (i) स्टॉक के निरीक्षण से पाया गया कि स्टॉक के अनाज से 3.35 क्विंटल गेहूँ, 17.90 क्विंटल चावल एवं 74 लीटर किरासन तेल में कमी पाया जाना, (ii) स्टॉक रजिस्टर दिनांक 26.08.2009 से 29.08.2009 तक संधारित नहीं किया जाना, (iii) अंत्योदय योजना, बी0पी0एल0 एवं अन्नपूर्णा योजना का अलग–अलग संधारण नहीं किया जाना आदि आरोप गठित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया द्वारा ज्ञापांक 403 दिनांक 03.09.2009 के माध्यम से स्पष्टीकरण किया गया। आवेदक द्वारा दिनांक 07.09.2009 अनुज्ञापन पदाधिकारी को अपना स्पष्टीकरण को समर्पित किया गया। जिसमें वर्णन किया गया कि जाँच के समय पदाधिकारी द्वारा भूलवश अनाज के कुछ बोरी को नहीं गिना गया। इसी प्रकार किरासन तेल का कुछ मात्रा जो छोटे–छोटे जड़कीन में रखा था उसपर विचार नहीं किया गया। दिनांक 27.08.2009 से 28.08.2009 तक अनाज का वितरण नहीं किये जाने के कारण उसका अंकन रजिस्टर में नहीं किया गया। इनके स्पष्टीकरण पर विचार किये बिना अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इनके अनुज्ञप्ति को ज्ञापांक 491 दिनांक 30.09.2009 के माध्यम से निलंबित कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा ज्ञापांक 748 दिनांक 18.11.2009 के माध्यम से आवेदक को द्वितीय कारण पृच्छा की गई। आवेदक द्वारा जिसका जबाव 07.12.2009 को समर्पित किया गया। परंतु इसपर बिना विचार किये अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा ज्ञापांक 932 दिनांक 29.12.2009 के माध्यम से इनके अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया	

Web Copy Not Official.

		गया। इससे दुखी होकर आवेदक द्वारा समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष आपूर्त्ति सं0–21/2010 दायर किया गया जो समाहर्त्ता द्वारा दिनांक 30.03.2012 क्रमशः	
	लगातार 13.06.2023	को खारिज कर दिया गया। इसके उपरांत आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं0–4351/2017 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.19 को आदेश पारित करते हुए समाहर्त्ता के दिनांक 30.03.2012 के आदेश को स्थगित करते हुए पुनः नये सिरे से आदेश पारित करते हुए प्रतिप्रेषित किया गया। जिसपर समाहर्त्ता द्वारा पुनः आवेदक के अपील को दिनांक 13.03.2020 को आदेश पारित करते हुए खारिज कर दिया। आवेदक द्वारा पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं0–5049/2022 जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 29.09.2022 को इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर करने का आदेश पारित किया गया। उक्त कारणों से आवेदक द्वारा इस न्यायालय पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। समाहर्त्ता द्वारा आवेदक को अपना तथ्य प्रस्तुत करने का पूर्ण मौका नहीं दिया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं कागजातों का पूर्णरूपेन अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया जो नियमानुकूल नहीं है। समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा 2013(3) PLJR 956 में अंकित वाद हरदेव झा बनाम बिहार राज्य में वर्णित नियमों के आधार पर वाद को खारिज करने के कारणों का उल्लेख करने में असमर्थ रहे हैं। इस जन वितरण की दुकान को दूसरे वितरक के साथ संबद्ध कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को नियमानुकूल नहीं बताते हुए पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करते हुए अनुज्ञप्ति को पुर्नबहाल का आदेश देने की प्रार्थना की गई है। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, पूर्णिया पूर्व द्वारा संबंधित मामले में पत्रांक 80 दिनांक 19.12.2022 के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करते हुए वर्णन किया है कि श्री दिनेश कुमार रजक, ग्राम–रानीपतरा, पंचायत–चाँदी, प्रखंड–पूर्णिया पूर्व में जन वितरण प्रणाली विक्रेता थे। जिनके जन वितरण प्रणाली के दुकान का दिनांक 29.08.2009 को 12:30 अपराह्न में औचक निरीक्षण के क्रम में भंडार के भौतिक सत्यापन में गेहूँ–3.35 क्विंटल, चावल–17.19 क्विंटल एवं किरासन तेल 74 लीटर भंडार में कम पाया गया था। उपरोक्त अनियमितता के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया के ज्ञापांक 403/आ0 दिनांक 03.09.2009 के द्वारा कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री दिनेश कुमार रजक द्वारा कारण पृच्छा का जवाब दिनांक 07.09.2009 को दिया गया। इनके द्वारा दिया कारण पृच्छा जवाब असंतोषजनक एवं भ्रामक पाया गया। कारण पृच्छा जवाब असंतोषजनक एवं भ्रामक होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया का आदेश	

Web Copy. Not Official.

		ज्ञापांक 491/आ0 दिनांक 30.09.2009 के द्वारा श्री दिनेश कुमार रजक जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0 52/2007 को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ संबद्ध किया गया।	
	लगातार 13.06.2023	क्रमशः अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया के ज्ञापांक 748/आ0 दिनांक 18.11.2009 के द्वारा श्री दिनेश कुमार रजक से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्री दिनेश कुमार रजक द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक 07.12.2009 दिया गया इनके द्वारा दिया गया द्वितीय कारण पृच्छा भी मनगढ़ंत, तथ्यहीन एवं सत्य से परे पाया गया। इसके पूर्व भी श्री रजक द्वारा बी0पी0एल0 लाभार्थी को मध्यान भोजन हेतु अवशेष खराब चावल के आपूर्त्ति किये जाने के संबंध में जाँचोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी सदर के ज्ञापांक 786/आ0 दिनांक 28.09.2007 के द्वारा इनके अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया। जिसे 90 दिनों से अधिक अवधि हो जाने के कारण दिनांक 06.12.2008 को आयोजित जिला स्तरीय आपूर्त्ति संबंधी चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कड़ी चेतावनी के साथ श्री रजक को निलंबन से मुक्त किया गया था। उपरोक्त श्री रजक द्वारा बार–बार किये गये अनुशासनहीनता, कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 932/आ0 दिनांक 29.12.2009 के द्वारा निलंबित विक्रेता की अनुज्ञप्ति सं0–52/2007 को तत्कालिन प्रभाव से रद्द किया गया। श्री दिनेश कुमार रजक द्वारा अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष आपूर्त्ति अपील वाद–21/2010 दायर किया गया। जिला दंड़ाधिकारी, न्यायालय, समाहर्त्ता पूर्णिया के द्वारा दिनांक 30.03.2012 के सुनवाई में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा किये गये कार्रवाई को नियम संगत कहा एवं आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद को समाप्त किया गया। उभय पक्षों को सुनने निम्न न्यायालय आदेश एवं संलग्न सुसंगत कागजातों के समीक्षोपरांत एवं जाँचोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा जन वितरण की दुकान के संचालन में पायी गई अनियमितता का आरोप गंभीर प्रकृति का है। अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा आवेदक के कारण पृच्छा के जवाब से असंतुष्ट होकर इनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है जो नियम संगत है। आवेदक अपना दावा सिद्ध करने में विफल रहे हैं। निम्न न्यायालय के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार आवेदक के पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।	

Web Copy. Not Official.

		आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.